तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
13/2/26.	पत्रा पेश। वादी स्वयं व वादी वकील उपस्थित। पुनः बहस सुनी गई। वादी ने बहस के साथ फर्द दस्तावेज़ पेश किए है। प्रतिवादी 1 व 2 के खिलाफ ex-parte 26/7/24 को कर दी गई थी। वादी का कथन है कि दिनांक 9/9/2008 को वादी के दादा द्वारा वादी के पक्ष में वसीयतनामा किया गया जिससे खसरा संख्या 20 की 2.09 hectare भूमि वादी के पक्ष में की गई। वादी का कथन है कि वादी उसी समय से उक्त भूमि को संभाल रहा है। वादी ने कहा कि सन् 2012 में प्रतिवादी ने धोखे से वादी के हस्ताक्षर लेकर विक्रय पत्र बनवा लिया जिससे यह ज़मीन छोटी बाई पत्नि मोहम्मद कुरेशी के नाम हो गई। (प्रदर्श 12 वादी द्वारा पेश किया गया)। उक्त विक्रय पत्र उप-पंजीयक द्वारा सत्यापित है। वादी का कथन है कि इस विक्रय पत्र को लेकर वादी ने civil न्यायालय में भी वाद दायर किया हुआ है। वादी का कथन है कि छोटी बाई ने इकरारनामा दर्ज कर यह जमीन आगे बेच दी है परन्तु [signature] [illegible] अधिकारी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सारे दस्तावेज़ unregistered है। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व बयान देखे गए। वादी द्वारा इस कथन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की ~~करने~~ दरख्वास्त है कि जो विक्रय पत्र द्वारा छोटी बाई को ज़मीन दी गई है वह धोखे से दी गई है। विक्रय पत्र धोखे से दिया गया है कि नहीं यह jurisdiction सिविल न्यायालय का है। वादी ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट मंगवाई परन्तु इससे यह तथ्य नहीं होता कि वादी ही खातेदार है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि वादी पहले से ही यह वाद 20[illegible] में इस न्यायालय के समक्ष लेकर आ चुका था (Case no 105/2021, राशिद खान बनाम छोटी बेगम) जिसमें प्रतिवादी की O7 R11 की application स्वीकृत हो चुकी थी व वाद खारिज हो चुका था। वादी फिर से same वाद same न्यायालय में लेकर आया है। [illegible signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादी का वाद खारिज करके वादी को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णित वाद with same cause of action & same parties के साथ बार-बार न्यायालय में न लाया जाए। निर्णय आज 13/2/26 को सुनाया गया। पत्रावली कैफियत गुजर होकर दाखिल दफ्तर हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी